Japanese investment in India

4712. SHRIMATI VEENA VERMA: Will tne PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Government's atten tion hag been drawn to the report which appeared in the Financial Ex press, dated July 30, 1992 captioned "Japanese Investors still sceptical of reforms"; and

(b) if so, what is Government's res ponse to the reported Japanese Inves tors apprehensions that 'enough attention is sot being paid to the problems of the existing joint ventures' to remove such apprehensions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) Yes, Sir. However, the reported Japanese investors' scepticism of India's new reforms is not substantiated by the figures of approvals given for direct foreign investment by Japanese companies, as indicated below: —

Year	Total foreign investment envisaged in foreign collaboration approvals with Japanese firms
1990	Rs. 5 crores
1991	Rs. 52·7 crores (10 *times over* 1990)
1992 (Upto July)	Rs. 375·58 crores (7 *times over* 1991)

These figures of higher investment over the years indicate greater Japanese interest in India's new economic reforms.

लघु उद्योग विकास संगठन में स्थानांतरण

4713. श्री गोपाल सिंह जी, सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के अंतर्गत उद्योग विकास संगठन में स्थानांतरण संबंधी कोई मानदण्ड हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और आयु संबंधी सीमाएं क्या हैं; और

(ग) क्या इन मानदंडों की उपेक्षा करके किसी व्यक्ति के संबंध में छट दी गई है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय) में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु उद्योग विकास संगठन (एस० आई० डी० ओ०) के कार्यालय लगभग सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में हैं। इन कार्यालयों में लगे कर्मचारियों का स्थानांतरण सरकार के मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होता है। लेकिन छोटे ग्रेडों में कार्यरत कर्मचारियों को कठिनाइयों को कम से कम करने के लिए देश को 6 (छः) क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और जहां तक संभव होता है, स्थानांतरण क्षेत्र के भीतर ही किए जाते हैं। लेकिन श्रेणी–1 अधिकारियों के मामले में उन्हें एक ही क्षेत्र के भीतर नियुक्त करना हमेशा संभव नहीं होता है और